राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांक 4(21)ग्रावि/अनु–8/2015/ दिनांक: 27.04.2016

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रेल 2016 को शासन सचिवालय के उत्तरी पश्चिमी भवन स्थित समिति कक्ष (विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष) से जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में विभिन्न परामीटर्स में जिन जिलों के अधिक रेडमार्कस है उनको चार्जशीट जारी की जाए।
2. जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) राजीविका में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कन्वर्जेन्स के लिए डीपीएम द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थियों की पहचान कर उनके प्रकरण दिनांक 24.4.2016 की ग्राम पंचायत में रखे जायेगें। इन सभी कार्यो को ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल कराया जाये तथा शीघ्र इनकी स्वीकृतियॉ जारी हो।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अपने स्तर पर अपने डीपीएम एवं उस जिले में नियुक्त वाईपी (Young Professional) तथा राजीविका के अन्य स्टाफ के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेगें कि दि0 24.4.2016 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में स्वयं सहायता समुह के पात्र सभी सदस्यों के महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के प्रस्ताव तैयार हो जाए। राज्य स्तर पर श्री जयपाल कौशिक, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर एवं श्री तुमुल तरण, मैनेजर (एसआई) द्वारा इस कार्य को कार्डिनेट किया जायेगा। जिला परिषद की जानकारी के लिए उनके मोबाईल नम्बर है।
4. उक्त के संबंध में चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर श्री कौशिक द्वारा राज्य स्तर से डीपीएम को दिये गये विस्तृत निर्देशों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों को पत्र लिख कर जानकारी दी जायेगी।
5. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में प्रगति 78.24 प्रतिशत रही है, जिसके लिए सचिव महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए सभी जिला परिषदों को धन्यवाद कहा गया है। जिलेवार प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि सबसे कम प्रगति बांसवाडा, अलवर,, उदयपुर, स0माधोपुर,कोटा एवं सीकर की है। कुछ जिलों ने इस संबंध में

प्रारम्भिक शेष का सही इन्द्राज नहीं होने के कारण शिकायत की गयी। इस संबंध में निम्न निर्देश शासन सचिव महोदय द्वारा दिये गयेः–

1. आवास योजना में प्रारम्भिक शेष वहीं दर्शाया जायेगा जो कि आवास सोफ्ट पर होगा, यदि किसी जिले को अपने प्रारम्भिक शेष परिवर्तन करवाना है तो आवास सोफ्ट में दर्शाये गये शेष को सही करेगें, इसके अनुरूप राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शेष परिवर्तित किया जायेगा।
2. अन्य योजनाओं में इस वर्ष की अवशेष राशि आगामी वर्षो का प्रारम्भिक शेष होगा। अतः सभी जिले सुनिश्चित करेगें कि उनकी अवशेष राशि में इस बात का ध्यान रखा जाये कि मार्च 2016 में जारी हुई राशि का उल्लेख इसमें नहीं हो। अतः इस बात को मद्देनजर रखा जाए।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से 30 अप्रेल तक अवशेष राशि के संबंध में सूचना देगें जिसमें प्रत्येक योजना का अवशेष दर्शाया जायेगा। यही अवशेष 01.04.2016 का प्रारम्भिक शेष माना जायेगा। भविष्य में प्रारम्भिक शेष केवल सीए ऑडिट के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा अन्या नहीं।

6. डांग, मगरा, मेवात व बीएडीपी योजना में अप्रारम्भ कार्यो की सभी जिले समीक्षा कर 15 दिवस में इन कार्यो को प्रारम्भ करायेगे, जो कार्य 15 दिवस में प्रारम्भ नहीं हो सकते है उनके कारणों सहित परि0निदे0(एसएपी) को पत्र द्वारा अवगत करायेगें। परि0निदे0(एसएपी) राज्य स्तर पर सम्पर्क कर इन कार्यो को करायेगे।

7. गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में 50 करोड की राशि जिलों की ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर आवंटित कर दी गयी है। इसके अनुरूप स्वीकृति जारी कर सकते है। जिन जिलों में गत वर्ष की देनदारी हो उसका निस्तारण इस राशि से किया जा सकता है और यदि राशि की अधिक आवश्यकता हो तो तुरंत पत्र द्वारा मांग की जाये, जिससे कि अतिरिक्त राशि आवंटित करायी जा सके।

8. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एमपी लैड योजना का कार्यवार विवरण मांगा गया था। इस संबंध में क्षेत्र में यह पाया गया आईडब्ल्यूएमएस पर गलत सूचनाऐं इन्द्राज की गयी है, इसे गंभीरता से लिया गया है और सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसा कोई अन्तर सामने आता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

9. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा योग्य बिन्दुओं का समीक्षा नोट वीसी से पूर्व मुख्यालय को प्रेषित करें तथा वीसी होने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट आगामी वीसी के 7 दिवस पूर्व (Email-pdme2k_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करें।

10. सामाजिक अंकेक्षणः–

1. समस्त जिले वर्ष 2016–17(प्रथम छःमाही) के सामाजिक अंकेक्षण हेतु संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रकिया माह अप्रैल के अंत तक पूर्ण करने की सूचना मय नाम एवं मोबाईल नम्बर के निदेशालय को भिजवायी जाये।
2. जालौर जिले द्वारा वर्ष 2015–16(प्रथम छःमाही) के सामाजिक अंकेक्षण का सारांश अविलम्ब भिजवाया जावे।

3. इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2015–16 (प्रथम छः माही) की निर्धारित प्रपत्र में बाडमेर, भरतपुर, चूरू, बांसवाडा, करौली, जयपुर, जालौर, झालावाड एवं पाली द्वारा सूचना अविलम्ब भिजवायी जावे।
4. वर्ष 2015–16(द्वितीय छः माही) के सामाजिक अंकेक्षण का सारांश 1 सप्ताह में भिजवाये जाने हेतु बांसवाडा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, करौली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर को निर्देशित किया गया।
5. समस्त जिला परिषदों को इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण (द्वितीय छः माही) की निर्धारित प्रपत्र में सूचना 1 सप्ताह में सूचना भिजवायी जावे।
6. समस्त जिला परिषदों को वर्ष 2015–16 को प्रथम एवं द्वितीय छः माही की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अविलम्ब नरेगा वेब साईट पर अपलोड करवा कर 1 सप्ताह के अंदर निदेशालय को भेजी जावे।
7. समस्त जिले सामाजिक अंकेक्षण की बकाया वसूली करने एवं अनियमितताओं की शीघ्रातिशीघ्र पालना रिपोर्ट निदेशालय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

27/6

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा।
8. परियोजना निदेशक, एसएपी–II ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्री योजना।
10. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

27/6

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)